## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही वन प्रभाग, भदोही।

पत्रांक– 1517/ज्ञानपुर/26–1, दिनांक, ज्ञानपुर, दिसम्बर, 18, 2019।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषय– जनपद भदोही में ओबरा–सी बड़ौन ट्रान्समिशन लिमिटेड, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली–112211 द्वारा प्रस्तावित मार्गों के अन्तर्गत 400के0वी0 डी0सी0 ट्रान्समिशन लाइन बिछाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– एसोसिएट मैनेजर, प्रोजेक्ट, ओवरा–सी बड़ौन ट्रान्समिशन लिमिटेड, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/TRANS/40906/2009 तथा पत्रांक–36, दिनाक 11.12.2019।

महोदय,

अवगत कराना है कि एसोसिएट मैनेजर, प्रोजेक्ट, ओवरा–सी बड़ौन ट्रान्समिशन लिमिटेड, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 13.06.2019 द्वारा जनपद–भदोही में मार्गों के अन्तर्गत 400 के0वी0 डी0सी0 ट्रान्समिशन लाइन बिछाने हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया। 400 के0वी0 डी0सी0 ट्रान्समिशन लाइन में बाधक/अवरोधक वृक्षों का संयुक्त निरीक्षण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा नामित अधिकारी एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, भदोही द्वारा किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी, भदोही द्वारा उपलब्ध कराये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार 400 के0वी0 डी0सी0 ट्रान्समिशन लाइन क्रमशः (1) कंधिया मईहरदोपट्टी मार्ग पर अशोगापुर गॉव (2) मईहरदोपट्टी बरदहां मार्ग के मध्य होकर जायेगी। उक्त मार्ग में कुल 07 राजकीय वृक्ष प्रभावित हो रहे है। उक्त मार्ग संरक्षित/आरक्षित वन की श्रेणी में नही है।

एसोसिएट मैनेजर, प्रोजेक्ट, ओवरा–सी बड़ौन ट्रान्समिशन लिमिटेड, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली ने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है से सम्बन्धित पत्र मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि प्रस्ताव के संबंध में प्रभाग के अभिलेखीय एवं फील्ड स्तरीय जॉच में पाया गया कि प्रस्तावित ट्रान्समिशन लॉइन के निर्माण में पड़ने वाले मार्ग आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है।

अतः उक्त प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भूमि हस्तान्तण हेतु प्रस्ताव भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

(आलोक सक्सेना)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भदोही वन प्रभाग, भदोही।

संख्या– (1)/समदिनांक।

प्रतिलिपि–एसोसिएट मैनेजर, प्रोजेक्ट, ओवरा–सी बड़ौन ट्रान्समिशन लिमिटेड, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आलोक सक्सेना)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भदोही वन प्रभाग, भदोही।